सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority

फाल्गुन 05, गुरूवार, शाके 1943-फरवरी 24, 2022

Phalguna 05, Thursday , Saka 1943- February 24, 2022

भाग 5 (घ)

औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत दिये गये निर्णय।

श्रम विभाग

आदेश

जयपुर, फरवरी 21, 2022

संख्या एफ 1/आरटीयू/यूनियन बहाली/2021/5986 :-इस कार्यालय के आदेश क्रमांक एफ. 1/आरटीयू/रिर्टन/2006-17/निरस्तीकरण/ 19/18931 दिनांक 16.7.2019 के द्वारा पंजीकृत व्यवसायिक संघो को व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926 की धारा-28 के अन्तर्गत निर्धारित फार्म "डी" में वार्षिक आय-व्यय विवरण प्रस्तुत नही करने के कारण अधिनियम की धारा-10 के प्रावधानुसार उनके पंजीयन को निरस्त (रद्) कर दिया गया था।

उक्त आदेश के साथ संलग्न सूची मे क्रम संख्या 5,12,44,45,442,621 पर अंकित श्रम संघों द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि उन्हे दिनांक 31.1.2019 एवं दिनांक 30.4.2019 को जारी किया गया कारण बताओ (शो-काज) नोटिस प्राप्त नही हुआ तथा दिनांक 19.6.2019 को समाचार पत्र में प्रकाशित विज्ञप्ति की जानकारी भी नही हो पाई साथ ही यह भी निवेदन किया गया है कि पूर्व पदाधिकारियों को नियमों की जानकारी नही होने के कारण नियत वर्षो के आय व्यय विवरण नही भिजवाये जा सके। भविष्य में वे नियत समय पर भिजवाते रहेगें। श्रमिकों की समस्याओं के निराकरण के लिए उच्च अधिकारियों को पत्र व्यवहार कर, समस्याओं का निराकरण किया जा रहा है एवम नियमित समय पर कार्यकारिणी के चुनाव करवाये जा रहे है तथा वे लगातार कार्यशील रहे है।

श्रम संघो द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्रों एवं उसके साथ संलग्न किये गये दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा दिनांक 17.02.2022 को सुना गया। प्रार्थना पत्रों में दिये गये कारणों/स्पष्टीकरण से मै सन्तुष्ट हू। अतः मैं राजीव किशोर सक्सैना, रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियन एवम अतिरिक्त श्रम आयुक्त (आई.आर.) राजस्थान, जयपुर इस कार्यालय के आदेश क्रमांक एफ 1/आरटीयू/रिर्टन /2006-17 /निरस्तीकरण /19 /18931 दिनांक 16.7.2019 मे संलग्न सूची में अंकित श्रम संघो के नाम उक्त आदेश से विलोपीत करने एवं निरस्त किये गये पंजीयन को बहाल करने का आदेश देता हूं। यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होगें।

पंजीयन बहाल किये गये श्रम संघो का विवरण

क्र.सं.	श्रम संघ का नाम एवं पता	पंजीयन संख्या	आदेश दिनांक में अंकित क्रम संख्या
1.	भार वाहक रहेडी एवम पल्लेदार यूनियन, मजदूर भवन, वार्ड-1 देव नगर, संस्कृत पाठशाला के पास, श्रीगंगानगर	डीआरटीयू/बीकेएन/34/88	5

2.	शिव आटो, टेम्पो यूनियन, कपडा मिल के सामने, श्रीगंगानगर	एआरटीयू /बीकेएन/6/ 96	12
3	लोहा लोडिग अनलोडिग रेहडी मजदूर यूनियन, मजदूर भवन, वार्ड-1 देव नगर, संस्कृत पाठशाला के पास, श्रींगंगानगर	एआरटीयू /बीकेएन/26/ 2006	44
4	इलैक्ट्रिक ट्रेड एण्ड लेबर ऐसोसियेशन, मजदूर भवन, वार्ड-2 देव नगर, संस्कृत पाठशाला के पास, श्रींगंगानगर	एआरटीयू /बीकेएन/27/ 2006	45
5	निवाई पल्लेदार यूनियन, एसडी-137 श्रमिक एकता केन्द्र, शान्ति नगर, जयपुर	एआरटीयू एजे/388/ 2015	442
6	दैनिक रेल यात्री, महासंघ फुलेरा, कार्यालय, प्लाट न. 21 रेल नगर, गोरर्धनपुरा रोड, फुंलेरा-303338	एआरटीयू जेपी/17/2010	621

राजीव किशोर सक्सैना,
रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियन ,
अतिरिक्त श्रम आयुक्त(आई.आर.),
राजस्थान जयपुर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।